

पत्रावली संख्या 07/9/जोध/सर्वे/कुम्भ/भू० अधि/2017-भाग II

दिनांक 27.01.20

## सार्वजनिक सूचना


सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन – भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 सपटित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केन्द्र सरकार द्वारा आशयित है :

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
राजसमन्द	कुम्भलगढ़	किला कुम्भलगढ़	572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595/1 और 595/2	11 बीघा 05 बिस्वा	कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु।

उपरोक्त उल्लेखित भूमि अवाप्ति हेतु पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट की प्रतियाँ निम्नलिखित कार्यालय में जन सामान्य के अध्ययन तथा अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी गई है :-

- 1) कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द।
- 2) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़।
- 3) कार्यालय तहसीलदार, कुम्भलगढ़।
- 4) कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़।

रिपोर्ट को भूमि हेतु याचक विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.asijodhpurcircle.in/> के आधीन Land Acquisition at Kumbhalgarh Fort से शीर्षक Revised Social Impact Assessment Report द्वारा डाउनलोड भी किया जा सकता है।

  
27/1/20  
अधीक्षण पुरातत्वविद्,  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,  
जोधपुर मण्डल